न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/72/2019

अपींलाट कल्याणसिंह पुत्र श्री केसरसिंह
निवासी सेतराउ हाउस सरदारपुरा बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रामसर

आदेश

दिनांक : 11.12.2019

अपीलार्थी कल्याणसिंह पुत्र श्री केसरसिंह निवासी सेतराउ हाउस सरदारपुरा बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार रामसर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 16.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 448615 दिनांक 19.08.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रामसर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना यथा उपलब्धता जरिये डाक भिजवाई गई है, शेष बिन्दुवार सूचना तहसील कार्यालय बाड़मेर से सम्बन्धित होन से उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई उपलब्ध सूचना दी जा चुकी है, किन्तु उक्त सूचना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह बाद दी गई है तथा इस विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रकट नहीं किया गया है। लिहाजा रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है साथ ही रेस्पोडेन्ट तहसीलदार रामसर को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सूचना अधिकार के प्रार्थना–पत्रों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.28 13:45:05 IST
Reason: SelfAttested